



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



24 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 271 राँची, मंगलवार,

14 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

10 मई, 2024

संख्या-03/आरोप-11-18/2024-25474 (HRMS)--श्री संजीव कुमार लाल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-95/20), आप्त सचिव, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार, राँची क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक-ECIR/RNSZO/16/2020/912 दिनांक 07.05.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री संजीव कुमार लाल को PMLA, 2002 की धारा-3 के तहत परिभाषित एवं धारा 4 के तहत दण्डनीय धन शोधन (Money Laundering) के अपराध के लिए PMLA, 2002 की धारा-19 के तहत दिनांक 07.05.2024 को 12:40 AM बजे गिरफ्तार किया गया है तथा दिनांक 07.05.2024 को माननीय विशेष पी०एम०एल०ए० कोर्ट में पेश किया गया तथा माननीय न्यायालय के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को दिनांक-08.05.2024 से छः दिनों का रिमांड प्रदान किया गया है ।

2. अतः श्री संजीव कुमार लाल को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 07.05.2024 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है ।

3. श्री संजीव कुमार लाल को निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 10(1) एवं (3) के अनुरूप उसी स्थापना द्वारा किया जाएगा, जहाँ श्री लाल हिरासत/कारावास में जाने के पूर्व पदस्थापित थे ।

4. हिरासत/कारावास से मुक्त होने के बाद श्री संजीव कुमार लाल कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान देंगे ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority
1	2	3
1	SANJEEV KUMAR LAL (JHK/JAS/119)	श्री संजीव कुमार लाल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-95/20), आप्त सचिव, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 07.05.2024 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
